

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (3/3/100) आकाशि/अनु/004, 0/0

दि 30 दिसंबर, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा उचित अनुमोदन के अनुसार अकादमिक सत्र 2008-09 से पूर्व संचालित शकायों/विषयों में स्थाई अनुमति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

| क्र.सं. | पत्रा सं. | महाविद्यालय का नाम | पता/निर्देशिका का पता | विश्वविद्यालय | विषय/शकाय |
|---------|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 100 | पूजातमक कॉलेज | बी.पी.पी. शाखा रोड, अजीमपुरा, सीकर | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | पूर्व संचालित विषय संचालना |

1. संचालित विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के अनिवार्य शर्तों का पालना करना।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु बी.एड. अर्हताप्राप्ति प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निदेशिका मानकानुसार अशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान में भविष्य में कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को सत्र-2 पर यू.जी.सी./राष्ट्र स्तर का आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी नदशों का पालना अनिवार्य करना पड़ेगा।
5. संस्था द्वारा राजस्थान और राजस्थान शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों का पालन अनुपालना सुनिश्चित किया जावेगा।
6. संस्था को स्थाई मान्यता प्राप्त करने के लिए है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालना सतत रूप से करना पड़ेगा पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर संस्था को मान्यता से प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार अनुमति कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मान्यता करवाना अनिवार्य होगा।
9. निदेशिका महाविद्यालयों को बी.पी.आई. के नियमों का पालन अनुपालना सुनिश्चित करना होगा।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से संस्था की प्रतिक्रिया प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

(पतन कुमार शौगल)
आयुक्त

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माओ उच्च शिक्षा, राजस्थान, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माओ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. डिप्टी कलेक्टर, सीकर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (शुभ-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. वरिष्ठ कौशल आफ इण्डिया, 21 राज एटन्स इन्टरनेशनल ऐरिया, नई दिल्ली - 110028
9. सचिव, संचालित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.ए.ई.)
10. संचालित शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संचालित संस्था/ महाविद्यालय (रजिस्टर्ड)।
12. संचालित पत्रावली।

प्राचार्य
अजीमपुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पूजातमक (सीकर) राज.

संयुक्त निदेशक (अनुमति)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।